भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 901

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

901. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के लक्ष्य और उद्देश्य तथा प्राथमिक कार्य क्या हैं;

(ख) क्या एनएमपीबी औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित कर रहा है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री के विकास के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर योजना के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान एनएमपीबी की क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) परियोजनाओं के माध्यम से विकसित औषधीय पौधों की प्रजातियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत समर्थित पौधशालाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधाव)

(क): भारत सरकार ने देश में औषधीय पादपों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 24 नवंबर, 2000 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्थापना की थी। एनएमपीबी के लक्ष्य और उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मध्य समन्वय और केंद्रीय/राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पादपों के क्षेत्र के समग्र (संरक्षण, खेती, व्यापार और निर्यात) विकास के लिए नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना।

ii) स्व-स्थाने और पूर्व-स्थिति संरक्षण और औषधीय महत्व के स्थानीय औषधीय पादपों और सुगंधित प्रजातियों के संवर्धन पर ध्यान देना।

iii) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण, हर्बल उद्यानों के निर्माण आदि जैसी प्रचार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलाना|

एनएमपीबी के प्राथमिक कार्य निम्न प्रकार हैं:

i) देश और विदेश दोनों में औषधीय पादपों से संबंधित मांग/आपूर्ति की स्थिति का आकलन करना।

ii) औषधीय पादपों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह देना।

iii) औषधीय पादपों के संग्रहण, भंडारण और परिवहन के लिए खेती योग्य भूमि और बुनियादी ढांचे तक पहुंच रखने वाली एजेंसियों द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करना।

iv) औषधीय पादपों की पहचान, सूचीकरण और मात्रा निर्धारण।

v) पूर्व-स्थिति/ स्व-स्थाने संरक्षण और औषधियों पादपों की खेती को बढ़ावा देना|

vi) संग्राहकों और उत्पादकों के मध्य सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना और उनकी उपज के प्रभावी ढंग से भंडारण, परिवहन और विपणन में सहायता प्रदान करना।

vii) सूचीकरण, सूचना के प्रसार और पादपों के औषधीय उपयोग पर पेटेंट की रोकथाम की सुविधा के लिए डेटा-बेस प्रणाली की स्थापना करना, जिसकी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

viii) कच्चे माल के आयात/निर्यात के साथ-साथ औषधि, खाद्य संपूरक या हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में मूल्य वर्धित उत्पादों से संबंधित मामले, जिसमें देश और विदेश में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उपज के विपणन के लिए बेहतर तकनीकों को अपनाना शामिल है।

ix) औषधीय पादपों के विकास के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रदान तथा शुरू करना और लागत प्रभावी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन करना|

x) खेती और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल का विकास।

xi) पेटेंट अधिकारों और आईपीआर की सुरक्षा को प्रोत्साहित करना।

(ख): जी हां, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय पूरे देश में *"औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना"* लागू कर रहा है। इस योजना में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:

i) बहुआयामी रणनीति के माध्यम से औषधीय पादपों का संरक्षण
   - स्व-स्थाने संरक्षण
   - स्व-स्थाने संसाधन संवर्धन
   - पूर्व-स्थिति संरक्षण
   - मूल्य संवर्धन, सुखाने, भंडारण और विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने आदि के लिए स्थानीय क्लस्टर की स्थापना हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) / पंचायतों / वन पंचायतों / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सहायता प्रदान करना|

ii) अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और गुणवत्ता आश्वासन

iii) सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति के माध्यम से हितधारकों के जागरूकता सृजन, एक्सपोजर दौरे, शिक्षा और क्षमता निर्माण

iv) हर्बल उद्यानों को बढ़ावा देना

v) अन्य हस्तक्षेप (द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विपणन)

vi) मल्टीमीडिया के उपयोग सहित औषधीय पादप प्रजाति विशिष्ट अभियान

vii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण [राज्य औषधीय पादप बोर्डों (एसएमपीबी) और क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) को मजबूत करने के लिए सहायता]

viii) औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी लिंकेज (एकीकृत घटक)

उपरोक्त घटकों/गतिविधियों को परियोजना पद्धति द्वारा विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य औषधीय योजना बोर्ड (एसएमपीबी)/राज्य वन विभाग/अनुसंधान परिषद जैसे सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम, सीसीआरएस, सीसीआरएच, आईसीएआर, सीएसआईआर आदि/विश्वविद्यालयों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और सहायता-अनुदान पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में अधिसूचित अनुमोदित लागत मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्रियों/नर्सरियों के विकास के लिए *"औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना"* के तहत समर्थित परियोजनाओं की संख्या **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(घ): वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान एनएमपीबी की क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) परियोजनाओं के माध्यम से विकसित औषधीय पादपों की प्रजातियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ङ): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक अपनी "*राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना"* के तहत 'औषधीय पादपों के घटक' को क्रियान्वित किया था।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक पूरे देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना (एनएएम) योजना के 'औषधीय पादप घटक' के तहत अनुमोदित नर्सरियों का विवरण **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक-।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री/नर्सरी के विकास के लिए "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	5
4.	बिहार	1
5.	छतीसगढ़`	2
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	2
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू-कश्मीर	4
11.	कर्नाटक	4
12.	केरल	6
13.	मध्य प्रदेश	3
14.	महाराष्ट्र	7
15.	मणिपुर	3
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	2
18.	ओडिशा	4
19.	पुदुचेरी	2
20.	पंजाब	4
21.	राजस्थान	2
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	6
24.	तेलंगाना	9
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तराखंड	2
27.	उत्तर प्रदेश	8
28.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	**105**

संलग्नक-।।

वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान एनएमपीबी की क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) परियोजनाओं के माध्यम से विकसित औषधीय पादपों की प्रजातियों की गुणवत्ता पौधरोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र	कवर किए गए राज्य	क्यूपीएम विकास के लिए 2017-18 से 2022-23 के दौरान आरसीएफसी को स्वीकृत सहायता अनुदान (लाख रूपये में)	2017-18 से 2022-23 के दौरान आरसीएफसी के माध्यम से विकसित क्यूपीएम के पादपों की संख्या (संख्या में)
1.	**आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र-1)** भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान (आरआईआईएसएम), जोगिंदर नगर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश - 175 015	चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	150.00	13,51,510
2.	**आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र-2)** शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और कश्मीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के), कृषि संकाय, वाडुरा, सोपोर - 193201, जम्मू और कश्मीर	जम्मू-कश्मीर, लद्दाख	120.00	17,27,240
3.	**आरसीएफसी (मध्य क्षेत्र)** राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई), पोलीपाथर, जबलपुर, मध्य प्रदेश (परियोजना 2017-18 से 2022-23 तक कार्यान्वित की गई)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश	120.00	4,92,624
4.	**आरसीएफसी (पूर्वी क्षेत्र)** जादवपुर विश्वविद्यालय, 188, राजा एस.सी. मल्लिक रोड, कोलकाता - 700032, पश्चिम बंगाल	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल	150.00	20,35,461
5.	**आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र)** केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), पीची - 680653, त्रिशूर, केरल	अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना	150.00	39,09,650
6.	**आरसीएफसी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)** i. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम-785006	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,	100.00	22,23,310

	(परियोजना 2018-19 से 2020-2021 तक कायान्वित की गई।) ii. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर -एनईआईएसटी), एनएच-37, पुलिबोर, जोरहाट, असम 785006 (परियोजना सितंबर, 2021 से अब तक जारी है)	नागालैंड, त्रिपुरा		
7.	**आरसीएफसी (पश्चिमी क्षेत्र)** वनस्पति विज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे-411007, महाराष्ट्र	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा एव नगर हवेली और दमन व दीव	100.00	9,06,245
	कुल		**890.00**	**1,30,05,892**

संलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक पूरे देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना (एनएएम) के औषधीय पादपों के घटक के अंतर्गत अनुमोदित नर्सरियों का विवरण निम्नानुसार है:

		अनुमोदित नर्सरियों की संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	2	9	4	4	3	-	**22**
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	1	3	-	**5**
3	असम	-	1	3	-	-	-	**4**
4	बिहार	-	-	-	-	7	-	**7**
5	छत्तीसगढ़	-	1	2	2	-	-	**5**
6	गोवा	-	1	1	-	2	-	**4**
7	गुजरात	4	4	2	3	-	-	**13**
8	हरियाणा	-	1	-	-	-	-	**1**
9	हिमाचल प्रदेश	1	-	2	3	3	-	**9**
10	जम्मू-कश्मीर	6	2	2	4	1	2	**17**
11	कर्नाटक	-	-	-	1	-	-	**1**
12	केरल	1	2	2	2	-	10	**17**
13	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	**-**
14	महाराष्ट्र	-	-	2	-	4	-	**6**
15	मणिपुर	2	-	1	2	1	-	**6**
16	मेघालय	-	2	3	-	2	-	**7**
17	मिजोरम	1	3	2	2	1	1	**10**
18	नागालैंड	-	-	4	3	-	-	**7**
19	ओडिशा	-	-	-	3	-	-	**3**
20	पुदुचेरी	-	-	-	1	-	-	**1**
21	पंजाब	-	2	-	3	6	-	**11**
22	राजस्थान	4	1	4	-	7	-	**16**
23	सिक्किम	-	1	-	-	-	-	**1**
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	**-**
25	तेलंगाना	1	2	2	1	3	-	**9**
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	**-**
27	उत्तराखंड	1	2	-	-	3	**-**	**6**
28	उत्तर प्रदेश	5	5	-	1	-	10	**21**
29	पश्चिम बंगाल	4	-	1	2	4	-	**11**
	कुल	**32**	**39**	**38**	**38**	**50**	**23**	**220**